न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूॅगरगढ

मुकदमा नम्बर 115/2018 निर्णय दिनांक 14.11.2019

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूॅगरगढ

-------वादी

बनाम

रूपाराम पुत्र मालाराम नायक निवासी कीतासर भाटियान तहसील श्री डूॅगरगढ जिला बीकानेर

-----प्रतिवादी

उपस्थिति–

1. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद स्टेट की तरफ से जरिये तहसीलदार, श्री डूॅगरगढ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीतासर भाटियान में स्थित खेत खसरा नम्बर 532/221 तादादी 2.43 हैक्टयर प्रतिवादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रतिवादी ने बिना सक्षम स्वीकृति व बिना भूमि का रूपान्तरण करवाये एयरटेल व वोडाफोन मोबाईल कम्पनी का टॉवर स्थापित किये जाने के कारण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है । इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्टर 1955 की धारा 177 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी को कार्यालय द्वारा दिनाक 15.9.1996 को नोटिस जारी कर अवैाध रूप से लगाये गये एयरटेल मोबाइल टावर को हटाने व कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाने हेतु बार बार लिखा गया लेकिन बाद गुजरने मियाद भी प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं की और ना ही अवैध टॉवर को हटाया है ना ही रूपान्तरण करवाया है । प्रतिवादी द्वारा किया गया उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्तो के उल्लंघन करने की तारीफ में आता है । जिसका खातेदार को किसी भी प्रकार से हक हासिल नहीं है और ना ही अधिकार प्राप्त है । खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से नेचर परिवर्तन नही करसकता है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कीतासर भाटियान तहसील श्री डूॅगरगढ जिला बीकानेर में स्थित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 532/221 तादादी 2.43 हैक्टयर में से 232.42 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें तथा खातेदार की खातेदारी अधिकार समाप्त कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने हेतु आदेश फरमावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी का सम्मन चस्पानगी से तामिल होकर प्राप्त हुआ परन्तु अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूॅगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

रोही कीतासर भाटियान तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 532/221 तादादी 2.43 हैक्टयर में से 232.42 वर्गमीटर भूमि जिस पर वादी द्वारा टावर का निर्माण कर रखा है भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर प्रार्थी की उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.12.04 14:48:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: